भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 359
21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाना

359. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:
श्री एस. ज्ञानतिरावियम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कंपनियों के लिए खाद्य लेबल पर सामग्री और कैलोरी मान संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि इसके पोषक तत्वों का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कैनबंद/डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग (एचएसआर) जारी करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार के पास भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा प्रमाणित किए गए डिब्बाबंद/कैनबंद खाद्य उत्पादों और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने डिब्बाबंद खाद्य सामग्री पर लेबल लगाने की अपेक्षाएं निर्धारित करते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है। इस विनियम में पैकेट के पीछे की तरफ पोषण संबंधी जानकारी के तौर पर इसके पोषक तत्वों और अनुशंसित दैनिक खुराक (आरडीए) में इनके प्रतिशत योगदान को प्रदर्शित करना अपेक्षित है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु सभी खाद्य उत्पादों (एकल खाद्य सामग्री वाले खाद्य उत्पादों को छोड़कर) की भार अथवा मात्रा, जैसा भी मामला हो, के अनुसार उनके संयोजन सामग्री की घटते क्रम में एक सूची दी जाए। खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के लिए डिब्बाबंद खाद्य सामग्री पर इन विनियमों के अनुसार लेबल लगाना अनिवार्य है।

(ग) और (घ): सितम्बर, 2022 में, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एंड प्रदर्शन) संशोधन विनियम के मसौदे को अधिसूचित किया, जो https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Draft_Notification_HFSS_20_09_2022.pdf. पर उपलब्ध है। इन संशोधन विनियमों में वसा, शर्करा और नमक की अधिक मात्रा वाली खाद्य सामग्री (एचएफएसएस फूड) की परिभाषा और भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर) के साथ डिब्बाबंद खाद्य सामग्री (ऐसी विशिष्ट खाद्य सामग्री जिसके लिए छूट दी गई है, को छोड़कर) के पैकेट पर सामने की तरफ लेबल लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(ड.): टीनबंद/केनबंद खाद्य सामग्री और डिब्बाबंद खाद्य सामग्री की कुल संख्या से संबंधित कोई आंकड़ा एफएसएसएआई द्वारा नहीं रखा जाता।

*****